



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : **AUGUST 4, 2026**



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com

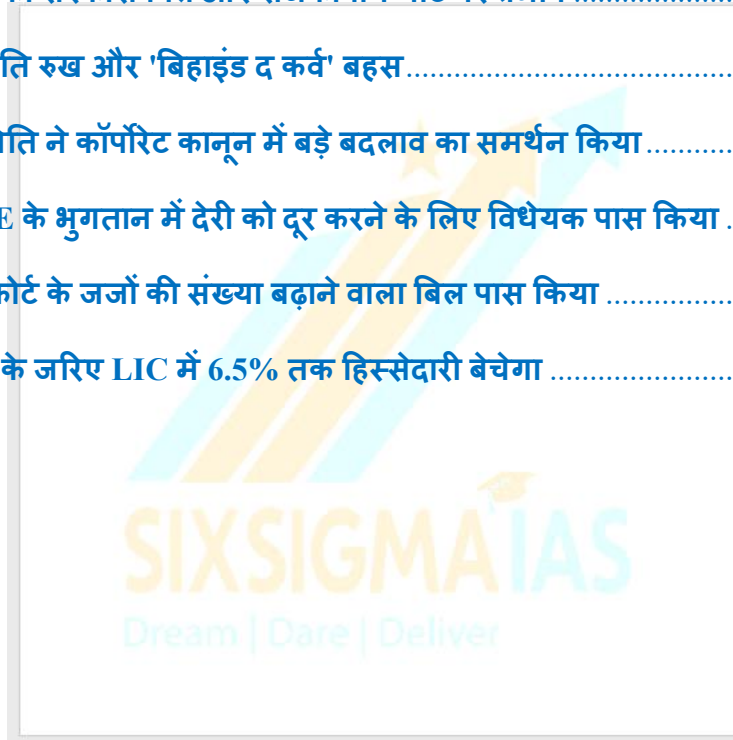


ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. अंगों के प्रत्यारोपण के लिए राष्ट्रीय वास्तविक समय पोर्टल और NOTTO.....	2
2. अमेरिकी-जापानी संयुक्त हस्तक्षेप और भारतीय बाजारों पर इसका प्रभाव.....	4
3. भू-राजनीतिक संघर्ष, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन और भारत की उर्वरक सुरक्षा	5
4. ऑनलाइन मानचित्रों से अवैध वन जियोटैग हटाने की केरल की पहल	7
5. क्लाइमेट व्हिपलेश और पाइरोक्लुम्योलिनिमबस बादल: यूरोप के बड़े पैमाने पर जंगलों की आग के चालक	9
6. IBC स्थगन और प्रमोटरों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला	10
7. पश्चिम एशिया युद्ध का सरकारी वित्त और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	12
8. आरबीआई मौद्रिक नीति रुख और 'बिहाइंड द कर्व' बहस	14
9. संसद की संयुक्त समिति ने कॉर्पोरेट कानून में बड़े बदलाव का समर्थन किया	15
10. राज्यसभा ने MSME के भुगतान में देरी को दूर करने के लिए विधेयक पास किया	17
11. लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल पास किया	18
12. केंद्र ऑफर फॉर सेल के जरिए LIC में 6.5% तक हिस्सेदारी बेचेगा	19



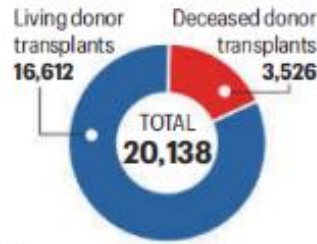
1. अंगों के प्रत्यारोपण के लिए राष्ट्रीय वास्तविक समय पोर्टल और NOTTO

मुख्य बातें और सारांश

- **नए पोर्टल का शुभारंभ:** राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) ने भारत में अंग प्रत्यारोपण को सुव्यवस्थित करने के लिए एक गतिशील, वास्तविक समय (real-time) पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया है।
- **एकीकृत प्रतीक्षा सूची:** यह पोर्टल एक केंद्रीकृत, देशव्यापी प्रतीक्षा सूची बनाता है, जिससे पारदर्शिता, दक्षता और अंगों का न्यायसंगत वितरण में सुधार होता है।
- **अति-तत्काल (Super Urgent) अनुरोध:** यह गंभीर चिकित्सा स्थितियों के आधार पर प्राप्तकर्ताओं के लिए अस्पतालों, राज्यों और क्षेत्रीय निकायों को "अति-तत्काल" अनुरोध करने में सक्षम बनाता है।

- **आधार-लिंकड संकल्प:** यह मंच स्वैच्छिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए आधार-लिंकड अंगदान संकल्पों की सुविधा प्रदान करता है।
- **स्वैप दाताओं और ट्रेकिंग:** विशेषताओं में स्वैप दाताओं का देशव्यापी मिलान, अंग आवंटन की वास्तविक समय पर ट्रेकिंग और प्रत्यारोपण परिणामों की रिकॉर्डिंग शामिल है।
- **डेटा संदर्भ (2025):** भारत ने 2025 में कुल 20,138 अंग प्रत्यारोपण दर्ज किए, जिसमें 16,612 जीवित दाता प्रत्यारोपण और 3,526 मृत दाता प्रत्यारोपण शामिल हैं, जिसमें गुर्दे की हिस्सेदारी सबसे अधिक (14,477) थी।

• Organ transplants in India in 2025



Kidney transplants	14,477
Liver transplants	5,154
Heart transplants	239
Lung transplants	210
Pancreas transplants	35

SOURCE: NOTTO ANNUAL REPORT

आवश्यक परिभाषाएं

- **अंग प्रत्यारोपण (Organ Transplantation):** एक चिकित्सीय प्रक्रिया जहां किसी जीवित या मृत दाता के स्वस्थ अंग से फेल हो चुके या क्षतिग्रस्त अंग को बदला जाता है।
- **NOTTO (राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन):** स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन, जिसे अंगों और ऊतकों की खरीद और वितरण का समन्वय करने और राष्ट्रीय रजिस्ट्रियों को बनाए रखने का जिम्मा सौंपा गया है।
- **मृत दाता (Deceased Donor):** एक ऐसा व्यक्ति जिसे ब्रेन-स्टेम मृत घोषित कर दिया गया हो, जिसके परिवार की सहमति से प्रत्यारोपण के लिए अंग निकाले जाते हैं।
- **स्वैप दान (Swap Donation):** एक ऐसी व्यवस्था जहां सुसंगत रक्त समूहों या ऊतक प्रकारों का मिलान करने के लिए असंगत दाता-प्राप्तकर्ता जोड़ों के बीच अंगों का आदान-प्रदान किया जाता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम (THOTA), 1994:** चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए मानव अंगों को निकालने, भंडारण और प्रत्यारोपण को नियंत्रित करने तथा मानव अंगों के व्यावसायिक लेन-देन को रोकने वाला प्राथमिक कानून।
- **मानव अंग प्रत्यारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011:** दाताओं की परिभाषा का विस्तार करके निकट संबंधियों को शामिल किया, मस्तिष्क की मृत्यु के प्रमाणन के प्रावधान पेश किए, और राष्ट्रीय रजिस्ट्री की स्थापना की।
- **संवैधानिक प्रावधान:** भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसे न्यायिक व्याख्या द्वारा स्वास्थ्य के अधिकार और चिकित्सा देखभाल तक पहुंच को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया है। सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (सूची II) और समवर्ती सूची (सूची III) के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य आता है।

निष्कर्ष

NOTTO द्वारा वास्तविक समय के पोर्टल की शुरुआत अंग आवंटन में महत्वपूर्ण कमियों को दूर करके भारत के स्वास्थ्य सेवा के परिदृश्य में एक परिवर्तनकारी कदम है। प्रशासनिक देरी को कम करके, नौकरशाही की बाधाओं को खत्म करके, और डिजिटलीकरण के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाकर, यह पहल अंग प्रत्यारोपण में गंभीर मांग-आपूर्ति के

असंतुलन को संबोधित करती है और सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा तक सम्मानजनक, न्यायसंगत पहुंच सुनिश्चित करती है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

यह विषय सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II (सामाजिक क्षेत्र के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे/स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं) और सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III (विज्ञान और प्रौद्योगिकी-आईटी, जैव प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में जागरूकता) के तहत यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। अभ्यर्थियों को शासन सुधारों, डिजिटल स्वास्थ्य पहलों, अंगदान में नैतिक मुद्दों और भारत में स्वास्थ्य सेवा वितरण को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

2. अमेरिकी-जापानी संयुक्त हस्तक्षेप और भारतीय बाजारों पर इसका प्रभाव

मुख्य बातें और सारांश

- संयुक्त मुद्रा हस्तक्षेप:** अत्यधिक अस्थिरता को स्थिर करने और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले येन को मजबूत करने के लिए अमेरिका और जापान ने जापानी मुद्रा बाजार में एक समन्वित हस्तक्षेप किया।
- कमजोर येन का संदर्भ:** यह हस्तक्षेप जुलाई में जापानी मुद्रा के 40 साल के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद हुआ है, जो ब्याज दर के अंतर और एक कमजोर येन से प्रेरित है, जिसने पहले जापान को अमेरिकी बांड बेचने के लिए मजबूर किया था, जिससे अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में वृद्धि हुई।
- येन कैरी ट्रेड एक्सपोजर:** भारत का येन कैरी ट्रेड से काफी जुड़ाव है, जिसका अनुमानित एक्सपोजर लगभग 21 अरब डॉलर (कुल विदेशी संस्थागत निवेशक होल्डिंग्स का लगभग 2/2.1%) है, जिसे येन मजबूत होने के कारण अनवाइंडिंग (स समेटने) के जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है।
- FII प्रवाह और बहिर्प्रवाह:** लगातार चार महीनों के बहिर्प्रवाह के बाद जुलाई में 2.1 अरब डॉलर (लगभग 20,200 करोड़ रुपये) के अस्थायी सकारात्मक FII प्रवाह के बावजूद, भारत ने 2026 में कुल 27.2 अरब डॉलर (लगभग 2.54 लाख करोड़ रुपये) का विदेशी बहिर्प्रवाह दर्ज किया है।
- व्यापक मैक्रो दबाव:** हालांकि मुद्रा संचलन और संभावित FII अनवाइंडिंग से अल्पावधि में अस्थिरता पैदा होती है, बाजार विश्लेषक इस बात पर जोर देते हैं कि कच्चे तेल की कीमतों जैसे व्यापक व्यापक आर्थिक कारक भारतीय बाजार के लिए महत्वपूर्ण बने हुए हैं।
- वैश्विक मौद्रिक नीति में बदलाव:** जापानी केंद्रीय बैंक ने अंतर्निहित मुद्रास्फीति से निपटने के लिए संभावित दर में बढ़ोतरी का संकेत दिया है, जबकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व अपेक्षित दर में कटौती पर विचार कर रहा है, जिससे वैश्विक तरलता और उभरते बाजारों के प्रवाह प्रभावित हो रहे हैं।



आवश्यक परिभाषाएं

- **येन कैरी ट्रेड (Yen Carry Trade):** एक वित्तीय रणनीति जहां निवेशक कम ब्याज दरों पर जापानी येन में पैसे उधार लेते हैं और भारत जैसे उभरते बाजारों में स्टॉक या बांड जैसी उच्च उपज वाली संपत्तियों में निवेश करते हैं।
- **विदेशी संस्थागत निवेशक (FII):** अपने गृह देश के बाहर के वित्तीय बाजारों में निवेश करने वाला एक निवेशक या निवेश कोष, जो घरेलू पूंजी बाजार की तरलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **बेसिस पॉइंट (bps):** ब्याज दरों और अन्य प्रतिशत के लिए वित्त में उपयोग की जाने वाली माप की एक इकाई, जहां 1 बेसिस पॉइंट 0.01% या एक प्रतिशत के 100वें हिस्से के बराबर होता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999:** भारत में विदेशी मुद्रा से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने वाला प्राथमिक विधायी ढांचा, जिसका उद्देश्य बाहरी व्यापार और भुगतानों को सुविधाजनक बनाना और विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देना है।
- **भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934:** केंद्रीय बैंक को भारत में मौद्रिक स्थिरता सुरक्षित करने की दृष्टि से बैंक नोटों के जारी करने को विनियमित करने और भंडार रखने तथा देश की मुद्रा और ऋण प्रणाली को अपने लाभ के लिए संचालित करने का अधिकार देता है।
- **संवैधानिक प्रावधान:** भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत, विदेशी ऋण, विदेशी मुद्रा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संघ सूची (सूची I, प्रविष्टि 36 और 41) के अंतर्गत रखा गया है, जो संसद को विशेष विधायी क्षमता प्रदान करता है।

निष्कर्ष

संयुक्त अमेरिकी-जापानी मौद्रिक हस्तक्षेप वैश्विक तरलता और मुद्रा बाजारों की आपस में जुड़ी प्रकृति को रेखांकित करता है। भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए, एक मजबूत होता येन कैरी ट्रेड के अनवाइंडिंग को ट्रिगर करता है, जिससे अल्पकालिक पूंजी बहिर्प्रवाह और शेयर बाजार में अस्थिरता का जोखिम पैदा होता है। हालांकि, लचीले घरेलू बुनियादी सिद्धांत और व्यापक संरचनात्मक मैक्रो संकेतक अंततः वैश्विक मौद्रिक बदलावों के खिलाफ भारतीय वित्तीय बाजारों के दीर्घकालिक प्रक्षेपवक्र को तय करेंगे।

यूपीएससी प्रासंगिकता

यह विषय सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III (भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों जुटाने, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे) के तहत यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। अभ्यर्थियों को वैश्विक केंद्रीय बैंक की नीतियों, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव, पूंजी खाता परिवर्तनीयता, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश और घरेलू व्यापक आर्थिक परिदृश्य में उनके प्रसारण चैनलों के तंत्र को समझना चाहिए।

3. भू-राजनीतिक संघर्ष, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन और भारत की उर्वरक सुरक्षा

मुख्य बातें और सारांश

- **पश्चिम एशियाई संकट और आपूर्ति के झटके:** अमेरिका-इजरायल बनाम ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के बंद होने से बड़े पैमाने पर वैश्विक ऊर्जा और आपूर्ति के झटके लगे, जिससे तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG), अमोनिया और सल्फर का आयात गंभीर रूप से बाधित हुआ।
- **यूरिया में घरेलू लचीलापन:** फीडस्टॉक आपूर्ति के मुद्दों के कारण घरेलू यूरिया उत्पादन में अस्थायी गिरावट के बावजूद, सरकार की सक्रिय पहलों - जैसे कि GAIL और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के माध्यम से एलएनजी सोर्सिंग में विविधता लाना - ने यूरिया की आरामदायक उपलब्धता सुनिश्चित की।
- **P&K उर्वरकों में कमजोरियां:** जहां यूरिया की आपूर्ति स्थिर रही, वहीं अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी और कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखलाओं के बाधित होने के कारण डी-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) और जटिल उर्वरकों को गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ा।
- **सल्फर की अड़चन (Bottleneck):** रूसी रिफाइनरी हमलों और पश्चिम एशियाई निर्यात प्रतिबंधों के कारण वैश्विक सल्फर की बढ़ती कीमतों ने सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा पैदा की, जो रॉक फॉस्फेट को फॉस्फोरिक एसिड में बदलने के लिए आवश्यक है।
- **घटी हुई मांग का कुशन:** कम मानसून के कारण उर्वरकों के लिए मारामारी वाले पिछले वर्षों के विपरीत, 2026 में पर्याप्त मिट्टी की नमी और अच्छी तरह से भरे जलाशयों ने घटी हुई मांग के साथ मिलकर युद्ध के प्रभाव को कम करने में मदद की।
- **किसानों के लिए राजकोषीय सुरक्षा:** सरकार ने उच्च आयात लागत को खुद वहन किया, जिससे उन्हें किसानों पर नहीं डाला गया और उर्वरक सब्सिडी में भारी बजट अधिकता से बचा गया।



आवश्यक परिभाषाएं

- **होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz):** ओमान और ईरान के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है, जो वैश्विक तेल और गैस परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है।
- **पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना:** 2010 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना जहां खुदरा वजन के बजाय उनके पोषक तत्व सामग्री (N, P, K, S) के आधार पर P&K उर्वरकों पर एक निश्चित राशि की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- **फीडस्टॉक (Feedstock):** औद्योगिक उत्पादन के लिए ऊर्जा और रासायनिक घटकों की आपूर्ति करने के लिए आवश्यक कच्चे माल, मुख्य रूप से नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के मामले में प्राकृतिक गैस।
- **फॉस्फोरिक एसिड:** सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग करके रॉक फॉस्फेट से प्राप्त एक महत्वपूर्ण मध्यवर्ती रसायन, जो DAP और जटिल फॉस्फेटिक उर्वरकों के निर्माण के लिए अपरिहार्य है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955:** केंद्र सरकार को उचित मूल्य पर न्यायसंगत उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रासायनिक उर्वरकों सहित आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण और मूल्य निर्धारण को विनियमित करने या प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है।

- **उर्वरक (नियंत्रण) आदेश (FCO), 1985:** आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जारी, यह पूरे भारत में उर्वरकों की गुणवत्ता, मूल्य और व्यापार को नियंत्रित करता है, जिससे मुद्रित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से अधिक कीमत वसूलना अवैध हो जाता है।
- **संवैधानिक प्रावधान:** भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत, उद्योगों और वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण (जैसे रसायन और उर्वरक) से संबंधित मामले समवर्ती सूची (सूची III) और संघ सूची (संसद द्वारा नियंत्रित उद्योगों के लिए सूची I, प्रविष्टि 52) के अंतर्गत आते हैं।

निष्कर्ष

गंभीर पश्चिम एशियाई भू-राजनीतिक संकट के बीच भारत के उर्वरक क्षेत्र द्वारा प्रदर्शित लचीलापन रणनीतिक संसाधन विविधीकरण और सक्रिय प्रशासनिक योजना की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करता है। हालांकि सल्फर और फॉस्फोरिक एसिड जैसे कच्चे माल से संबंधित संरचनात्मक कमजोरियां बनी हुई हैं, लेकिन घरेलू किसानों को अत्यधिक वैश्विक मूल्य अस्थिरता से बचाना ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और कृषि गति को सुरक्षित रखा है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

यह विषय सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III (भारतीय अर्थव्यवस्था और संसाधनों को जुटाने, कृषि और बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दों, साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों और प्रबंधन) के तहत यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। अभ्यर्थियों को यह जांच करनी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय भू-राजनीतिक फ्लैशपॉइंट घरेलू मुद्रास्फीति, खाद्य सुरक्षा और सरकारी सब्सिडी प्रबंधन को कैसे प्रभावित करते हैं।

4. ऑनलाइन मानचित्रों से अवैध वन जियोटैग हटाने की केरल की पहल

मुख्य बातें और सारांश

- **अवैध जियोटैग पर कार्रवाई:** केरल वन विभाग ने Google Maps जैसे ऑनलाइन मैपिंग प्लेटफॉर्म पर राज्य के आरक्षित और संरक्षित वनों के भीतर अवैध रूप से जियोटैग किए गए स्थानों और पिनो की पहचान करने और उन्हें हटाने का फैसला किया है।
- **सार्वजनिक सुरक्षा और आपदा जोखिम:** अधिकारियों ने उल्लेख किया कि कई अवैध रूप से टैग किए गए स्थान पहाड़ी, पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्रों में हैं जो विशेष रूप से मानसून के मौसम में चिखल और भूस्खलन के शिकार होते हैं, जिससे छिपे हुए रास्तों का पता लगाने के इच्छुक पर्यटकों की जान जोखिम में पड़ जाती है।
- **वन्यजीव गलियारों की सुरक्षा:** अनियंत्रित मैपिंग से महत्वपूर्ण वन्यजीव आवासों, गलियारों और यहां तक कि गोपनीय वन कर्मचारियों के ट्रेकिंग मार्गों (जैसे साइलेंट वैली में) का खुलासा होता है, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष का खतरा बढ़ जाता है।

- **प्रशासनिक कार्रवाई योजना:** विभाग की आईटी विंग ऑनलाइन मैप प्लेटफॉर्म पर हटाने के लिए इन अनधिकृत लिस्टिंग की एक व्यापक सूची तैयार कर रही है और कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए उन्हें अपलोड करने वाले व्यक्तियों का पता लगा रही है।
- **गैरकानूनी प्रवेश की रोकथाम:** इस कदम का उद्देश्य उन बढ़ती प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना है जहां आगंतुक दूरदराज के वन झरनों और दृष्टिकोणों को खुले पर्यटन स्थलों की गलती से प्रतिबंधित जंगल क्षेत्रों में अतिक्रमण कर लेते हैं।

आवश्यक परिभाषाएं

- **जियोटैग करना (Geotagging):** फोटोग्राफ, वीडियो या ऑनलाइन मैप लिस्टिंग जैसी डिजिटल सामग्री में भौगोलिक पहचान मेटाडेटा (जैसे अक्षांश, देशांतर, ऊंचाई और टाइमस्टैम्प) जोड़ने की प्रक्रिया।
- **अवैध जियोटैग करना (Illegal Geotagging):** स्पष्ट सरकारी अनुमोदन के बिना डिजिटल मैपिंग प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील पारिस्थितिक स्थानों, संरक्षित क्षेत्रों या प्रतिबंधित क्षेत्रों का अनधिकृत और गैरकानूनी प्रकाशन या पिन करना।
- **आरक्षित वन (Reserve Forest):** भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के तहत विधिवत अधिसूचित भूमि, जहां सभी सार्वजनिक अधिकारों पर आमतौर पर रोक लगाई जाती है जब तक कि विशेष रूप से प्रवेश की अनुमति न दी जाए।

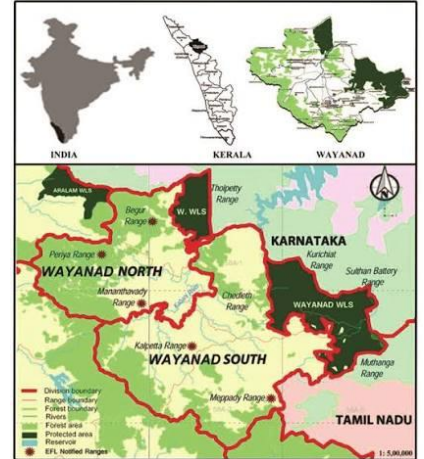
कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय वन अधिनियम, 1927:** आरक्षित वनों को घोषित करने, प्रबंधित करने और विनियमित करने के लिए मूलभूत कानूनी ढांचा प्रदान करता है, जिससे इन सीमाओं के भीतर अनधिकृत प्रवेश और अतिक्रमण एक दण्डनीय अपराध बन जाता है।
- **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:** लुप्तप्राय वन्यजीवों की रक्षा और पारिस्थितिक अखंडता को बनाए रखने के लिए अभ्यारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित आवासों के भीतर मानव गतिविधियों को नियंत्रित करता है।
- **संवैधानिक प्रावधान:** राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का अनुच्छेद 48A राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने का निर्देश देता है। इसके अलावा, अनुच्छेद 51A(g) प्रत्येक भारतीय नागरिक पर वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का मौलिक कर्तव्य डालता है।

निष्कर्ष

संरक्षित क्षेत्रों में अनधिकृत डिजिटल मैपिंग के खिलाफ केरल की निर्णायक कार्रवाई एक जरूरी शासन प्राथमिकता को रेखांकित करती है: पारिस्थितिक संरक्षण के साथ तकनीकी पारदर्शिका को संतुलित करना। दूरदराज के वन स्थानों के अनियंत्रित प्रसार की जाँच करके, राज्य का उद्देश्य कमजोर पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा करना, मानसून के दौरान आपदा जोखिमों को कम करना और अनियंत्रित पर्यटन के खतरों से मानव जीवन और वन्यजीव आवास दोनों की सुरक्षा करना है।

यूपीएससी प्रासंगिकता



यह विषय सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III (संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन) और सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II (शासन, सरकारी नीतियां और विकास के लिए हस्तक्षेप) के तहत यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। अभ्यर्थियों को आधुनिक तकनीक, डिजिटल मैपिंग प्लेटफॉर्म, पर्यावरण न्यायशास्त्र और भारत में वन्यजीव संरक्षण प्रबंधन के अंतर्संबंध को समझना चाहिए।

5. क्लाइमेट व्हिपलेश और पाइरोक्युम्योलिनिमबस बादल: यूरोप के बड़े पैमाने पर जंगलों की आग के चालक

मुख्य बातें और सारांश

- तीव्र यूरोपीय जंगल की आग:** गंभीर जंगल की आग पूरे यूरोप में फैल गई है, जिससे स्पेन में 172,000 हेक्टेयर में फैले शांति-कालीन बड़े पैमाने पर निकासी के साथ-साथ ग्रीस, पुर्तगाल, पुर्तगाल, साइप्रस और क्रोएशिया में बड़ी आग लग गई है।
- क्लाइमेट व्हिपलेश परिघटना:** आग तेजी से एक खतरनाक चक्र से प्रेरित होती है जिसे क्लाइमेट व्हिपलेश कहा जाता है, जहां एक असामान्य रूप से गीली अवधि विस्फोटक वनस्पति विकास को बढ़ावा देती है, जिसके तुरंत बाद तीव्र लू और गंभीर सूखा पड़ता है जो बायोमास को सुखा देता है।
- फायर क्लाउड (PyrCb) का उद्भव:** इन आग की एक उल्लेखनीय विशेषता पाइरोक्युम्योलिनिमबस बादलों का निर्माण है, जो अपने स्वयं के अनिश्चित तूफान, बिजली और शक्तिशाली हवाएं पैदा करते हैं जो नई आग को प्रज्वलित कर सकते हैं और अग्निशामकों को फंसा सकते हैं।
- भू-उपयोग में परिवर्तन और परित्याग:** जलवायु परिवर्तन से परे, ग्रामीण depopulation और परित्याग कृषि भूमि ने घनी झाड़ियों के विकास को जन्म दिया है, जिससे यूरोपीय ग्रामीण इलाकों में दहनशील ईंधन की निरंतर परतें बन गई हैं।
- छठी पीढ़ी की जंगल की आग:** इन आग को छठे पीढ़ी की चरम घटनाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो अत्यधिक मात्रा में गर्मी छोड़ती हैं, जैव विविधता को नष्ट करती हैं, और समताप मंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की भारी मात्रा को इंजेक्ट करती हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बदतर हो जाती है।
- सामाजिक-आर्थिक परिणाम:** संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग यूरोप की रिपोर्ट के अनुसार, जंगल की आग घरों, बुनियादी ढांचे और आजीविका के लिए खतरा पैदा करती है, जिससे यूरोपीय संघ को सीधे नुकसान और खोए हुए पर्यटन में सालाना लगभग 2.5 बिलियन यूरो का खर्च आता है।



आवश्यक परिभाषाएं

- क्लाइमेट व्हिपलेश (Climate Whiplash):** विपरीत प्रकार के मौसम के बीच तीव्र और अत्यधिक झूले, जैसे अत्यधिक वर्षा से गंभीर, लंबी अवधि के सूखे में तेजी से संक्रमण।

- **पाइरोक्वुम्योलिनिमबस (PyrCb) बादल:** एक आग से उत्पन्न गरज के साथ बादल जो तब बनता है जब एक बड़े पैमाने पर जंगल की आग से अत्यधिक गर्मी और नमी वायुमंडल में बढ़ती है, ठंडी होती है, धुएं के कणों के आसपास संघनित होती है, और बिजली पैदा करने में सक्षम गगनचुंबी तूफान के बादलों का निर्माण करती है।
- **भूमि परित्याग (Land Abandonment):** वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ग्रामीण-से-शहरी प्रवास के कारण ग्रामीण कृषि भूमि, चरागाहों और जंगलों को बिना प्रबंधन के छोड़ दिया जाता है, जिससे प्राकृतिक वनस्पति अतिक्रमण और ईंधन का संचय होता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC):** जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम की तीव्रता से निपटने के लिए वैश्विक कार्रवाई को नियंत्रित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि।
- **पेरिस समझौता:** जलवायु परिवर्तन पर एक अंतरराष्ट्रीय रूप से बाध्यकारी संधि जिसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे सीमित करना है, जो गंभीर सूखे और जंगल की आग जैसे जलवायु-संचालित चरम सीमाओं को कम करने के लिए वैश्विक रणनीतियों को रेखांकित करता है।
- **संवैधानिक प्रावधान:** भारत में, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का अनुच्छेद 48A राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का निर्देश देता है, जबकि अनुच्छेद 51A(g) नागरिकों के लिए वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों की रक्षा और सुधार करने के लिए एक मौलिक कर्तव्य स्थापित करता है।

निष्कर्ष

जलवायु व्हिपलेश और पाइरोक्वुम्योलिनिमबस गतिविधि द्वारा संचालित अत्यधिक जंगल की आग का बढ़ना यह प्रदर्शित करता है कि पारंपरिक जंगल की आग का दमन अब पर्याप्त नहीं है। इस संकट से निपटने के लिए समग्र परिदृश्य प्रबंधन, ग्रामीण भूमि त्याग को संबोधित करना और दुनिया भर के पारिस्थितिक तंत्र को अस्थिर करने से अस्थिर मौसम चरम सीमाओं को रोकने के लिए आक्रामक वैश्विक जलवायु शमन की आवश्यकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

यह विषय सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III (संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, आपदा प्रबंधन) के तहत यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। अभ्यर्थियों को वैश्विक जलवायु परिवर्तन, चरम मौसम संबंधी घटनाओं, भूमि-उपयोग में परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शासन ढांचे के परस्पर जुड़े प्रभावों का अध्ययन करना चाहिए।

6. IBC स्थगन और प्रमोटरों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

मुख्य बातें और सारांश

- **स्थगन की विशिष्टता:** सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) की धारा 14 के तहत दिवाला स्थगन कड़ाई से और विशेष रूप से कॉर्पोरेट देनदार पर लागू होता है, जो प्रमोटरों, निदेशकों या व्यक्तिगत guarantors की रक्षा नहीं करता है।

- **मंत्री मान्यता एनर्जिया मामला:** यह निर्णय बेंगलुरु की आवास परियोजना के गृह खरीदारों की अपील से उपजा है, जिन्होंने कॉर्पोरेट दिवालियापन के कारण डेवलपर्स और संबंधित प्रमोटरों के खिलाफ उपभोक्ता शिकायतों को रोकने के NCDRC के फैसले को चुनौती दी थी।
- **कानूनी कार्रवाइयों की निरंतरता:** सर्वोच्च न्यायालय ने स्थापित किया कि स्वतंत्र व्यक्तिगत दायित्व के आधार पर प्रमोटरों और निदेशकों के खिलाफ समानांतर नागरिक, उपभोक्ता या आपराधिक कानूनी कार्यवाही कंपनी के खिलाफ कार्यवाही बने रहने के दौरान भी बिना किसी बाधा के जारी रह सकती है।
- **बढ़ी हुई जवाबदेही:** यह फैसला उन खामियों को बंद करता है जहां प्रबंधन के व्यक्तियों ने देरी से चल रही परियोजनाओं या वित्तीय चूक के लिए व्यक्तिगत जवाबदेही से खुद को बचाने के लिए कॉर्पोरेट दिवालियापन फाइलिंग का इस्तेमाल किया।
- **गृह खरीदारों के लिए राहत:** चूंकि गृह खरीदार IBC के तहत सबसे बड़े हितधारक समूह का गठन करते हैं, इसलिए यह निर्णय गैर-कॉर्पोरेट देनदार पार्टियों के खिलाफ प्रत्यक्ष जवाबदेही एवेन्यू की अनुमति देकर उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करता है।
- **व्यापक न्यायशास्त्र प्रभाव:** कानूनी विशेषज्ञों का ध्यान है कि इस व्याख्या से रियल एस्टेट से परे के क्षेत्र प्रभावित होते हैं, मुकदमेबाजी रणनीतियों में बदलाव आता है और लेनदारों को व्यक्तिगत गारंटर्स और प्रमोटरों का एक साथ पीछा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **स्थगन (Moratorium):** संकल्प के दौरान संपत्तियों को संरक्षित करने के उद्देश्य से एक देनदार के खिलाफ नागरिक मुकदमों, वसूली की कार्यवाही और कानूनी प्रवर्तन कार्रवाइयों पर कानूनी रूप से अनिवार्य रोक या निलंबन।
- **कॉर्पोरेट देनदार (Corporate Debtor):** एक कंपनी, कॉर्पोरेट निकाय, या सीमित देयता भागीदारी जो दिवाला और दिवालियापन संहिता के ढांचे के तहत किसी भी व्यक्ति को ऋण देती है।
- **व्यक्तिगत गारंटर (Personal Guarantor):** एक व्यक्ति या संस्था जो चूक की स्थिति में उधारकर्ता के ऋण का भुगतान करने का उपक्रम करती है, जिसकी देनदारियां प्राथमिक कॉर्पोरेट संरचना से अलग होती हैं जब तक कि वैधानिक अपवाद लागू न हों।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) की धारा 14, 2016:** कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की स्वीकृति पर स्थगन की घोषणा को नियंत्रित करती है, और कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति और संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाइयों को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करती है।
- **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019:** NCDRC जैसे उपभोक्ता मंचों को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों का न्याय करने का अधिकार देता है, जिसके तहत गृह खरीदार राहत चाहते हैं।

- **संवैधानिक प्रावधान:** भारत के संविधान का अनुच्छेद 141 यह अनिवार्य करता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी है, जो कॉर्पोरेट और उपभोक्ता विवादों से निपटने के लिए आधिकारिक मिसाल कायम करता है।

निष्कर्ष

IBC स्थगन का सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट सीमांकन इस सिद्धांत को पुष्ट करता है कि कॉर्पोरेट दिवालियापन सुरक्षा का उपयोग व्यक्तिगत दायित्व के लिए प्रमोटरों और निदेशकों द्वारा ढाल के रूप में नहीं किया जा सकता है। उपभोक्ता मंचों को गैर-कॉर्पोरेट उत्तरदाताओं के खिलाफ आगे बढ़ने की अनुमति देकर, यह फैसला कॉर्पोरेट पुनर्गठन प्रक्रिया को व्यक्तिगत जवाबदेही के साथ संतुलित करता है, जिससे गृह खरीदारों और लेनदारों दोनों के लिए न्याय सुनिश्चित होता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

यह विषय सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II (वैधानिक, नियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय) और सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III (भारतीय अर्थव्यवस्था, समावेशी विकास और दिवाला समाधान तंत्र) के तहत यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अभ्यर्थियों को यह विश्लेषण करना चाहिए कि न्यायिक हस्तक्षेप कैसे कॉर्पोरेट शासन को मजबूत करते हैं, घर खरीदार जैसे कमजोर उपभोक्ता वर्गों की रक्षा करते हैं, और IBC जैसे आर्थिक विधानों के निष्पादन को परिष्कृत करते हैं।

7. पश्चिम एशिया युद्ध का सरकारी वित्त और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

मुख्य बातें और सारांश

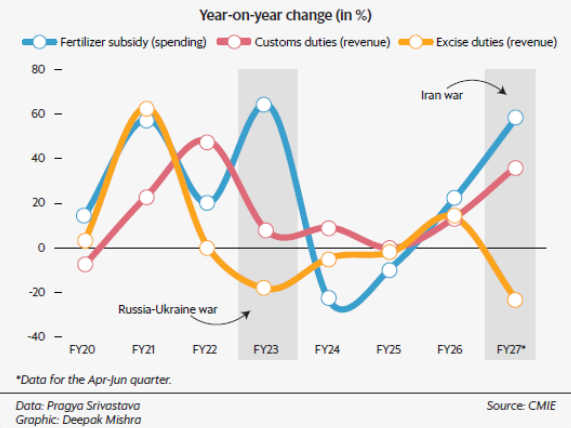
- **उर्वरक सब्सिडी में उछाल:** पश्चिम एशिया संघर्ष ने बड़े पैमाने पर ऊर्जा और आपूर्ति श्रृंखला के झटके पैदा किए, जिससे वित्त वर्ष 2027 की अप्रैल-जून तिमाही में सरकारी उर्वरक सब्सिडी का खर्च साल-दर-साल 57.6% बढ़ गया।
- **उत्पाद शुल्क संग्रह में गिरावट:** उच्च अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों के खिलाफ घरेलू उपभोक्ताओं को बफर करने के लिए सरकार द्वारा लागू किए गए ईंधन उत्पाद शुल्क में कटौती के परिणामस्वरूप संग्रह में 22.4% की गिरावट आई।
- **सीमा शुल्क राजस्व में वृद्धि:** इसके विपरीत, उच्च स्वर्ण टैरिफ और आयात शुल्क में समायोजन ने सीमा शुल्क राजस्व को बढ़ावा दिया, जिसमें साल-दर-साल 36.1% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।
- **राजकोषीय स्वास्थ्य पर चक्रीय झटके:** तुलनात्मक मैक्रो डेटा से संकेत मिलता है कि वित्त वर्ष 23 में रूस-यूक्रेन युद्ध और वर्तमान पश्चिम एशिया संघर्ष जैसी भू-राजनीतिक घटनाएं ऊंचे सब्सिडी बिलों और राजस्व व्यापार-ऑफ़ के माध्यम से राजकोषीय मापदंडों पर काफी दबाव डालती हैं।
- **राजकोषीय संतुलन अधिनियम:** किसानों या आम जनता पर भारी बोझ डाले बिना उच्च आयातित कच्चे माल की लागत को अवशोषित करने के लिए सरकार को भारी दबाव का सामना करना पड़ा है, जो सीधे राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को प्रभावित करता है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit):** सरकार के कुल व्यय और उसकी कुल प्राप्तियों (उधार को छोड़कर) के बीच का अंतर, जो सरकार द्वारा अपने संचालन को पूरा करने के लिए आवश्यक उधार फंड की कुल राशि का प्रतिनिधित्व करता है।
- **उत्पाद शुल्क (Excise Duty):** देश के भीतर वस्तुओं (जैसे पेट्रोलियम उत्पादों) के उत्पादन या निर्माण पर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर।
- **सीमा शुल्क (Customs Duty):** अन्य देशों से भारत में आयातित वस्तुओं पर सरकार द्वारा लगाया जाने वाला एक लेवी, जिसका उपयोग राजस्व सृजन और घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए किया जाता है।

HOW THE WEST ASIA WAR IS IMPACTING GOVT FINANCES

Higher prices due to the West Asia war drove government's fertilizer subsidy up 57.6% year-on-year in April-June. Fuel excise duty cuts caused a 22.4% drop in collections, while higher gold tariffs boosted customs duty revenue by 36.1%.



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारत के संविधान का अनुच्छेद 112:** वार्षिक वित्तीय विवरण (केंद्रीय बजट) को अनिवार्य करता है, जिसमें सरकार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपनी अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का अनुमान लगाने और प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।
- **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003:** वित्तीय अनुशासन को संस्थागत बनाने, राजकोषीय घाटे को कम करने और ऋण और घाटे में कमी के लिए सांख्यिकीय लक्ष्य निर्धारित करके व्यापक आर्थिक स्थिरता का प्रबंधन करने के लिए अधिनियमित किया गया।
- **कराधान पर संवैधानिक प्रावधान:** संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत, संघ सूची (सूची I) की प्रविष्टियां संसद को भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क पर कानून बनाने का अधिकार देती हैं।

निष्कर्ष

पश्चिम एशिया संघर्ष बाहरी भू-राजनीतिक और ऊर्जा झटकों के प्रति भारत के सार्वजनिक वित्त की संरचनात्मक कमजोरी को उजागर करता है। जबकि लक्षित राजकोषीय हस्तक्षेप प्रभावी रूप से किसानों और उपभोक्ताओं जैसे कमजोर वर्गों को मुद्रास्फीति के उछाल से बचाते हैं, वे सरकारी खर्च में गंभीर अस्थिरता लाते हैं, जिससे विविध ऊर्जा सोर्सिंग और लचीले राजकोषीय बफर प्रबंधन की अनिवार्यता मजबूत होती है।

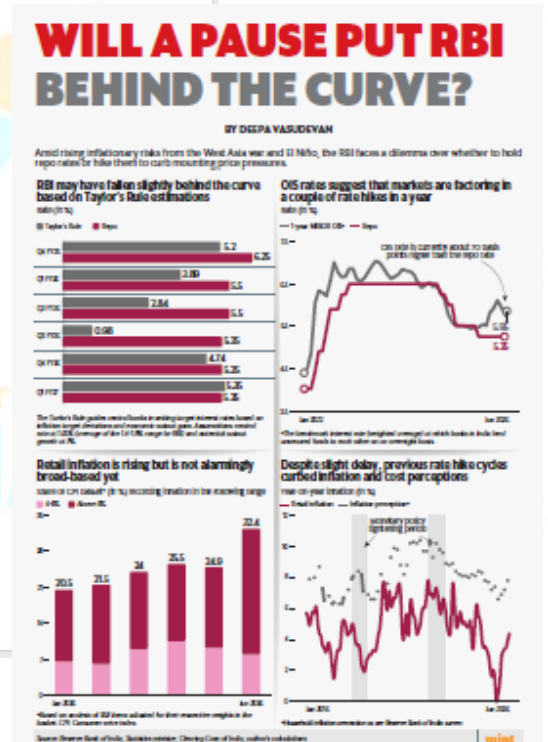
यूपीएससी प्रासंगिकता

यह विषय सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III (भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों के संचयन, विकास, विकास और सरकार के बजट प्रबंधन से संबंधित मुद्दे) के तहत यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। अभ्यर्थियों को यह विश्लेषण करना चाहिए कि वैश्विक भू-राजनीतिक जोखिम घरेलू राजकोषीय नीतिगत चुनौतियों, मुद्रास्फीति और सब्सिडी गतिशीलता में कैसे संचारित होते हैं।

8. आरबीआई मौद्रिक नीति रुख और 'बिहाइंड द कर्व' बहस

मुख्य बातें और सारांश

- नीति रेपो दर दुविधा:** वैश्विक कड़े रुख और घरेलू मुद्रास्फीति के जोखिमों के बीच रेपो रेट को 5.25% पर बनाए रखने या पूर्व-emptive दर में बढ़ोतरी करने के बीच भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति को एक नीतिगत विकल्प का सामना करना पड़ रहा है।
- नीति विराम की उम्मीद:** मजबूत आर्थिक विकास और जून 2026 में केवल एक बार 4% के लक्ष्य को पार करने वाली मुद्रास्फीति से प्रेरित होकर बाजार की आम सहमति नीतिगत विराम और तटस्थ रुख का कड़ाई से पक्ष लेती है।
- टेलर नियम मूल्यांकन:** टेलर के नियम के माध्यम से मौद्रिक रुख का मूल्यांकन इंगित करता है कि हालांकि पिछली नीति सख्त थी, आरबीआई अप्रैल-जून तिमाही में थोड़ा पीछे रह गया हो सकता है, हालांकि मॉडल पैरामीटर संवेदनशील बने हुए हैं।
- बाजार संकेत और OIS दरें:** जुलाई के अंत तक 1-वर्षीय ओवरनाइट इंटररेस्ट स्वाप दर बढ़कर 5.95% हो गई, जो संभावित 70 आधार अंकों की वृद्धि या वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम दो दर कटौतियों की बाजार की उम्मीदों को दर्शाती है।
- मुद्रास्फीति और रुपया दबाव:** हालांकि CPI मुद्रास्फीति अभी तक 2022 की तरह व्यापक आधार पर नहीं है, लेकिन अमेरिकी-इरान संघर्ष, अल नीनो जोखिमों और रुपये के मूल्यहास के कारण ब्रेंट कूड के 100 डॉलर प्रति बैरल को पार करने जैसे बाहरी झटके मौद्रिक प्रबंधन को जटिल बनाते हैं।
- नीतिगत कार्रवाई में लचीलापन:** अनुसंधान से संकेत मिलता है कि तेज, आक्रामक बाद की कार्रवाई के साथ कसने में थोड़ी देरी प्रभावी बनी रहती है, जिसका अर्थ है कि अब एक विराम केंद्रीय बैंक को स्थायी रूप से वक्र के पीछे नहीं रखता है।



आवश्यक परिभाषाएं

- बिहाइंड द कर्व (Behind the Curve):** ऐसी स्थिति जहां एक केंद्रीय बैंक बढ़ती मुद्रास्फीति के जवाब में पर्याप्त रूप से तेजी से ब्याज दरें बढ़ाने में विफल रहता है, जिससे स्थापित मूल्य अस्थिरता का खतरा होता है।
- रेपो रेट (Repo Rate):** वह ब्याज दर जिस पर केंद्रीय बैंक किसी भी फंड की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है।
- टेलर का नियम (Taylor's Rule):** एक मौद्रिक नीति दिशानिर्देश जो यह सिफारिश करता है कि मुद्रास्फीति, उत्पादन या अन्य आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन के जवाब में केंद्रीय बैंक को नाममात्र की ब्याज दर कितनी बदलनी चाहिए।

- **ओवरनाइट इंटररेस्ट स्वॉप (OIS):** एक वित्तीय डेरिवेटिव अनुबंध जो पार्टियों को रातोंरात दरों के आधार पर फ्लोटिंग ब्याज दर भुगतानों के लिए निश्चित ब्याज दर भुगतानों का आदान-प्रदान करने की अनुमति देता है, जो भविष्य की नीति रेपो दरों के लिए भविष्यवक्ता के रूप में कार्य करता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934:** आर्थिक विकास के साथ-साथ मौद्रिक नीति निर्माण, मुद्रा प्रबंधन और मूल्य स्थिरता के लिए सांविधिक जिम्मेदारी के साथ केंद्रीय बैंक को अधिकार देता है।
- **आरबीआई अधिनियम की धारा 45ZB:** मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति रेपो दर निर्धारित करने के लिए मौद्रिक नीति समिति (MPC) के गठन के लिए सांविधिक आधार प्रदान करती है।
- **संवैधानिक प्रावधान:** भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत, बैंकिंग, मुद्रा, विदेशी मुद्रा और केंद्रीय बैंकिंग संघ सूची (सूची I, प्रविष्टि 36, 38 और 45) के अंतर्गत हैं, जो संसद को विशेष विधायी शक्ति देते हैं।

निष्कर्ष

ब्याज दर में बढ़ोतरी को रोकने का आरबीआई का विचार-विमर्श मजबूत विकास का समर्थन करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है, जबकि तेल मूल्य के झटके और अल नीनो जैसे असमान मुद्रास्फीति ट्रिगर्स की निगरानी करता है। जबकि बाजार स्वॉप और मौद्रिक नियम संभावित कसने के दबाव का सुझाव देते हैं, तेजी से भविष्य के समायोजन को निष्पादित करने का लचीलापन यह सुनिश्चित करता है कि केंद्रीय बैंक आर्थिक गति को समय से पहले चोक किए बिना मुद्रास्फीति के जोखिमों को प्रबंधित कर सके।

यूपीएससी प्रासंगिकता

यह विषय सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III (भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों जुटाने, विकास, विकास और मौद्रिक नीति से संबंधित मुद्दे) के तहत यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभ्यर्थियों को एक अंतरसंबंधित वैश्विक अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंकिंग तंत्र, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे, टेलर नियम अनुप्रयोगों और व्यापक आर्थिक स्थिरीकरण उपकरणों को समझना चाहिए।

9. संसद की संयुक्त समिति ने कॉर्पोरेट कानून में बड़े बदलाव का समर्थन किया

मुख्य बातें और सारांश

- **कॉर्पोरेट कानून विधेयक पर रिपोर्ट:** संसद की एक संयुक्त समिति (JCP) ने कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो भारत के कॉर्पोरेट गवर्नेंस ढांचे के व्यापक सुधार का पुरजोर समर्थन करती है।
- **मामूली चूकों का गैर-अपराधीकरण:** समिति ने व्यवसायों पर बोझ को कम करने के लिए आपराधिक दंड को मौद्रिक दंड से बदलते हुए, यौगिक प्रक्रियात्मक और तकनीकी चूकों को और अधिक गैर-अपराधीकरण करने का प्रस्ताव रखा।
- **छोटे उद्यमों के लिए अनुपालन राहत:** छोटे व्यवसायों, स्टार्टअप और छोटे निगमों का समर्थन करने, व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए विशेष अनुपालन राहत उपायों की सिफारिश की गई है।

- **CSR मानदंडों में ढील:** रिपोर्ट शिथिल कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) मानदंडों का समर्थन करती है, जो कंपनियों को अनिवार्य सामाजिक विकास परियोजनाओं को निष्पादित करने में अधिक परिचालन लचीलापन प्रदान करती है।
- **जवाबदेही और व्यवसाय करने में आसानी को संतुलित करना:** प्रस्तावित विधायी संशोधनों का उद्देश्य स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, न्यायिक बैकलॉग को कम करना और कॉर्पोरेट जवाबदेही बनाए रखते हुए निवेश को आकर्षित करना है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **गैर-अपराधीकरण (Decriminalization):** मामूली, तकनीकी या प्रक्रियात्मक कॉर्पोरेट डिफॉल्ट के लिए आपराधिक दंड (जैसे कारावास) को हटाने और उन्हें नागरिक यौगिक दंड या मौद्रिक जुर्माने में बदलने की विधायी प्रक्रिया।
- **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR):** कंपनी कानून के तहत अनिवार्य एक स्व-नियमित व्यावसायिक मॉडल जिसके तहत बड़ी कॉर्पोरेशंस अपने शुद्ध लाभ का एक प्रतिशत सामाजिक, पर्यावरणीय और विकासात्मक कारणों की ओर योगदान करती हैं।
- **संसद की संयुक्त समिति (JCP):** विशिष्ट कानून या जटिल राष्ट्रीय मुद्दों की गहराई से जांच करने के लिए संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) से सदस्यों को आकर्षित करके गठित एक अस्थायी या तदर्थ संसदीय समिति।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **कंपनियां अधिनियम, 2013:** भारत में कंपनियों के निगमन, जिम्मेदारियों, शासन और विघटन को विनियमित करने वाला प्रमुख कानून, जिसे उभरती आर्थिक मांगों को पूरा करने के लिए समय-समय पर संशोधित किया जाता है।
- **भारत के संविधान का अनुच्छेद 118:** संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और उसके व्यवसाय के आचरण को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है, जो JCP जैसी समितियों के गठन के लिए प्रक्रियात्मक समर्थन प्रदान करता है।
- **संवैधानिक प्रावधान:** भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत, निगमों का निगमन, विनियमन और समापन (विश्वविद्यालयों के अलावा) संघ सूची (सूची I, प्रविष्टि 43) के अंतर्गत आते हैं, जिससे संसद को विशेष विधायी क्षमता मिलती है।

निष्कर्ष

कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 के संयुक्त समिति का समर्थन भारत के नियामक पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम का प्रतिनिधित्व करता है। प्रक्रियात्मक चूक के लिए दंडात्मक आपराधिक उपायों से नागरिक दंड में बदलाव करके, राज्य जवाबदेही से समझौता किए बिना निवेशक अनुकूल माहौल को बढ़ावा देते हुए, सख्त कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ व्यापार करने में आसानी को सफलतापूर्वक संतुलित करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

यह विषय सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II (संसद और राज्य विधानमंडल-संरचना, कामकाज, व्यवसाय का आचरण) और सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III (भारतीय अर्थव्यवस्था-औद्योगिक नीति, विकास और कॉर्पोरेट गवर्नेंस) के तहत यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। अभ्यर्थियों को विधायी सुधारों, व्यवसाय करने में आसानी के ढांचे और नीति निर्माण में संसदीय समितियों की विकसित भूमिका का विश्लेषण करना चाहिए।

10. राज्यसभा ने MSME के भुगतान में देरी को दूर करने के लिए विधेयक पास किया

मुख्य बातें और सारांश

- **MSME संशोधन विधेयक का पारित होना:** राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र के सामने आने वाली पुरानी भुगतान देरी और तरलता की कमी को हल करना है।
- **फास्ट-ट्रैक विवाद न्यायनिर्णयन:** कानून विवाद समाधान के लिए सख्त समय सीमा निर्धारित करता है, जो निपटान समझौतों की वसूली के लिए सुव्यवस्थित तंत्र प्रदान करता है।
- **अंतरिम भुगतान आदेश:** यदि किसी मध्यस्थ या संस्थागत आदेश को रद्द करने का आवेदन छह महीने से अधिक समय तक लंबित रहता है, तो यह अदालतों को खरीदारों को MSME आपूर्तिकर्ताओं को सीधे सम्मानित राशि का कम से कम 50 भुगतान करने का आदेश देने का अधिकार देता है।
- **संसदीय व्यवधान के बीच समर्थन:** विपक्ष के सदस्यों के व्यवधानों के बावजूद विधेयक को सफलतापूर्वक पास कर दिया गया, जो सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सरकार की विधायी प्राथमिकता को उजागर करता है।
- **कार्यशील पूंजी संकट को कम करना:** अनुमानित नकदी प्रवाह सुनिश्चित करके और न्यायिक देरी को कम करके, यह सुधार बड़े कॉर्पोरेट खरीदारों से अवैतनिक प्राप्य राशि के कारण दिवालियापन से MSME की रक्षा करता है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs):** संयंत्र, मशीनरी या उपकरण और वार्षिक कारोबार में निवेश के आधार पर वर्गीकृत उद्यम, जो भारत के विनिर्माण और रोजगार पारिस्थितिकी तंत्र की रीढ़ के रूप में काम करते हैं।
- **कार्यशील पूंजी (Working Capital):** दिन-प्रतिदिन के संचालन के लिए किसी व्यवसाय के लिए उपलब्ध पूंजी, जो व्यापार प्राप्य और ग्राहक भुगतानों की समय पर प्राप्ति पर बहुत अधिक निर्भर करती है।
- **मध्यस्थ पुरस्कार (Arbitral Award):** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम जैसे वैधानिक ढांचे के तहत किसी मध्यस्थ या विवाद समाधान परिषद द्वारा किया गया निर्णय या रूलिंग।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम, 2006:** भुगतान विवादों की मध्यस्थता के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषदों (MSEFC) के प्रावधानों सहित MSME के संवर्धन, विकास और संवर्द्धन को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कानून।
- **मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996:** MSME विवाद तंत्र के साथ इंटरफेस करते हुए घरेलू मध्यस्थता, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता और मध्यस्थ पुरस्कारों के प्रवर्तन को नियंत्रित करता है।
- **संवैधानिक प्रावधान:** भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत, उद्योग और आर्थिक योजना दोनों संघ सूची (सूची I) और समवर्ती सूची (सूची III) के अंतर्गत आते हैं, जो संसद को व्यावसायिक आसानी और औद्योगिक न्याय को सुविधाजनक बनाने वाले कानून बनाने का पूर्ण अधिकार देते हैं।

निष्कर्ष

MSME विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 का पारित होना, विलंबित भुगतानों के कारण होने वाले प्रणालीगत तरलता नालियों से छोटे व्यवसायों की रक्षा करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अनिवार्य अंतरिम भुगतानों को लागू करके और विवाद की समय-सीमा को संकुचित करके, यह कानून वित्तीय अनुशासन को मजबूत करता है और यह सुनिश्चित करता है कि MSME संचालन को बनाए रख सकते हैं, रोजगार पैदा कर सकते हैं और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं।

यूपीएससी प्रासंगिकता

यह विषय सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III (भारतीय अर्थव्यवस्था-विकास, विकास और रोजगार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) के तहत यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। अभ्यर्थियों को विनिर्माण क्षेत्र के सामने आने वाली संरचनात्मक चुनौतियों, व्यावसायिक विवादों को हल करने के लिए संस्थागत तंत्र और भारत में व्यवसाय करने में आसानी में सुधार लाने के उद्देश्य से विधायी सुधारों की जांच करनी चाहिए।

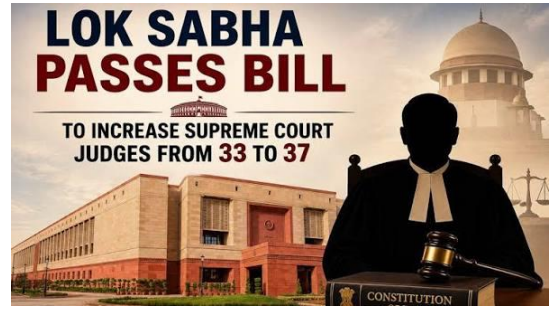
11. लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल पास किया

मुख्य बातें और सारांश

- **न्यायिक विधेयक का पारित होना:** लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की स्वीकृत संख्या को 34 से बढ़ाकर 38 करने के लिए एक पहले के अध्यादेश की जगह एक ऐतिहासिक विधेयक पारित किया।
- **विधायी बहस की कमी:** असंबंधित राष्ट्रीय मुद्दों पर निरंतर विपक्षी विरोध और नारेबाजी के कारण बिना किसी औपचारिक बहस के विधेयक पारित कर दिया गया, जिससे सदन की तत्काल स्थगन हो गया।
- **न्यायिक बैकलॉग का समाधान:** न्यायाधीश की शक्ति में वृद्धि का उद्देश्य बढ़ते डॉकेट बैकलॉग से निपटना और शीर्ष अदालत के समक्ष मामलों का तेजी से निपटान सुनिश्चित करना है।
- **अध्यादेश प्रतिस्थापन:** विधायी अधिनियमन कार्यकारी अध्यादेश को औपचारिक रूप देता है जिसे पहले बढ़ती मामले की फाइलिंग के जवाब में न्यायिक क्षमता का विस्तार करने के लिए प्रख्यापित किया गया था।
- **संस्थागत सुदृढ़ीकरण:** बेंच की क्षमता को बढ़ाना संवैधानिक बेंचों, विशेष अवकाश याचिकाओं और नियमित अपीलीय कार्यभार को कुशलता से प्रबंधित करने में मदद करता है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **स्वीकृत संख्या (Sanctioned Strength):** सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालयों जैसी न्यायिक संस्था के भीतर काम करने की अनुमति प्राप्त न्यायाधीशों की अधिकतम कानूनी रूप से अधिकृत संख्या।
- **अध्यादेश (Ordinance):** जब संसद सत्र में नहीं होती है, तो बाद के विधायी अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत प्रख्यापित एक अस्थायी कानून।
- **डॉकेट बैकलॉग (Docket Backlog):** अदालतों में न्याय के वितरण में देरी पैदा करने वाले अनसुलझे कानूनी मामलों का संचय।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारत के संविधान का अनुच्छेद 124:** भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और संविधान प्रदान करता है, जिसमें इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति और शक्ति के संबंध में प्रावधान शामिल हैं।
- **सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956:** मुख्य संसदीय कानून जो मूल रूप से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या तय करता है और न्यायिक शक्ति को बढ़ाने के लिए समय-समय पर संशोधित किया जाता है।
- **संवैधानिक प्रावधान:** भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत, सुप्रीम कोर्ट का संगठन, अधिकार क्षेत्र और शक्तियां विशेष रूप से संघ सूची (सूची I, प्रविष्टि 77) के अंतर्गत आती हैं, जो संसद को न्यायिक संरचनाओं को विनियमित करने का अधिकार देती हैं।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या को 34 से बढ़ाकर 38 तक विधायी विस्तार बढ़ते न्यायिक लंबित मामलों के लिए एक आवश्यक प्रशासनिक प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। बिना बहस के प्रमुख संस्थागत सुधारों को पारित करना निरंतर विधायी व्यवधानों को रेखांकित करता है, संवैधानिक ढांचे में निहित त्वरित न्याय के मौलिक अधिकार को बनाए रखने के लिए न्यायिक क्षमता को मजबूत करना महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

यह विषय सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II (भारतीय संविधान-ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, संरचना और न्यायपालिका का कामकाज) के तहत यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। अभ्यर्थियों को न्यायिक लंबित रहने, नियुक्ति तंत्र, विधायी प्रक्रियाओं और भारत की न्याय प्रणाली के भीतर संरचनात्मक सुधारों से संबंधित मुद्दों की जांच करनी चाहिए।

12. केंद्र ऑफर फॉर सेल के जरिए LIC में 6.5% तक हिस्सेदारी बेचेगा

मुख्य बातें और सारांश

- **सरकार की विनिवेश योजना:** केंद्रीय सरकार ने 382 रुपये प्रति शेयर के फ्लोर मूल्य पर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (LIC) में 6.5% तक हिस्सेदारी (जिसमें 2.5% बेस इकिटी और अतिरिक्त 4% ग्रीनशू विकल्प शामिल है) बेचने के लिए ऑफर फॉर सेल (OFS) की घोषणा की।
- **पूंजी जुटाना:** यदि पूरी तरह से सब्सक्राइब किया जाता है, तो 822.2 मिलियन से अधिक शेयरों की हिस्सेदारी बिक्री से लगभग 31,000 करोड़ रुपये मिलेंगे, जिससे वित्तीय वर्ष के लिए राष्ट्रीय विनिवेश किटी में काफी बढ़ावा मिलेगा।
- **सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों का अनुपालन:** रणनीतिक हिस्सेदारी बिक्री से LIC को मई 2027 की समय सीमा से पहले न्यूनतम 10% सार्वजनिक शेयरधारिता प्राप्त करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) द्वारा अनिवार्य नियामक आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम बनाता है।
- **छूट मूल्य निर्धारण रणनीति:** फ्लोर मूल्य बॉम्बे स्टॉक Exchange पर LIC के पिछले समापन बाजार मूल्य 424.35 रुपये से 10% की छूट का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे संस्थागत और खुदरा भागीदारी को आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **चरणबद्ध राज्य विनिवेश:** यह मई 2022 में सरकार के पिछले शुरुआती सार्वजनिक प्रस्ताव का अनुसरण करता है, जिसने 3.5% हिस्सेदारी को पतला कर दिया, जिससे सरकार की वर्तमान होल्डिंग 96.5% कम हो गई।



आवश्यक परिभाषाएं

- **ऑफर फॉर सेल (OFS):** स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा अनुमत एक पारदर्शी तंत्र जो सूचीबद्ध कंपनियों के प्रमोटरों को बोली मंच के माध्यम से सीधे जनता को अपने शेयरों को पतला या बेचने की अनुमति देता है।
- **ग्रीनशू विकल्प (Greenshoe Option):** एक पेशकश में एक ओवरऑलॉटमेंट विकल्प प्रावधानित है जो जारीकर्ता को अतिरिक्त शेयर बेचने की अनुमति देता है यदि ग्राहक की मांग उम्मीदों से अधिक हो जाती है।
- **विनिवेश (Disinvestment):** वह प्रक्रिया जिसमें सरकार वित्तीय संसाधनों को जुटाने और राजकोषीय बोझ को कम करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अपनी संपत्ति या हिस्सेदारी को liquidates या बेचती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956:** वैधानिक अधिनियमन जिसने मूल रूप से राज्य के स्वामित्व वाले निगम के रूप में LIC के संचालन को स्थापित और विनियमित किया, बाद में इसकी सूची और सार्वजनिक शेयरधारिता को सुविधाजनक बनाने के लिए संशोधित किया गया।
- **SEBI (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015:** वैधानिक बाजार निगरानी के तहत सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए प्रकटीकरण मानदंडों और न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं को नियंत्रित करते हैं।
- **संवैधानिक प्रावधान:** भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत, बैंकिंग और बीमा सहित व्यापारिक निगमों के निगमन, विनियमन और समापन से संबंधित मामले संघ सूची (सूची I, प्रविष्टि 43 और 44) के अंतर्गत आते हैं, जो संसद को विशेष विधायी अधिकार देते हैं।

निष्कर्ष

ऑफर फॉर सेल के माध्यम से LIC में 6.5% हिस्सेदारी बेचने का निर्णय SEBI सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों को पूरा करने और राजकोष के लिए महत्वपूर्ण गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों को जुटाने की दिशा में एक संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है। आकर्षक मूल्य निर्धारण की पेशकश करके और वैधानिक समय-सीमा का अनुपालन करके, सरकार सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता को मजबूत करती है जबकि पूंजी बाजार की भागीदारी को गहरा करती है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

यह विषय सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III (भारतीय अर्थव्यवस्था-संसाधनों का संचयन, विकास, विकास और विनिवेश नीति) के तहत यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभ्यर्थियों को सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति मुद्रीकरण, SEBI कॉर्पोरेट प्रशासन मानदंडों और राजकोषीय प्रबंधन रणनीतियों का विश्लेषण करना चाहिए।

